न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—84 / 2021 (2021 / 374) वादपत्र

अनवान

1. बलदेव पुत्र घासीराम जाट निवासी मियासनी, तहसील व जिला जोधपुर राजस्थान

वादी

बनाम

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र चमनसिंह राजपूत निवासी टूंगच, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सम्पतकंवर पुत्री चमनसिंह राजपूत निवासी टूंगच, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी

1. सुनील बापना —

निर्णय

दिनांकः—19.05.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम टूंगच पटवार हल्का टूंगच तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1143 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 1144 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 1747 / 1142 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.23 है0 भूमि वर्तमान खाता संख्या 222 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की है। उक्त वर्णित आराजियात में वादी का 1 / 2 हक व हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से हक व हिस्सा के साथ दर्ज रेकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादीगण के सामलाती रूप से दर्ज होने से तथा हिस्सा अलग से निर्धारित नही होने से वादी के अपने हक व हिस्से को विकास आदि कर कृषि उपयोग उपभोग हेतु भूमि सुधार करने में तथा लगान जमा कराने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिससे वादी वाद पत्र की कलम नं0 1 में अंकित आराजियात में वादी का 1 / 16 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से अनुसार विधिवत रूप से विभाजन करवा स्वतंत्र राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खोले जाने की विभाजन की अज्ञाप्ति बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमाई जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र को [illegible] 15.12.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी [illegible] नोटिस की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 बावजुद सूचना के [illegible] नही हो[illegible] एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं प्रतिवादी संख्या 3 [illegible] जिससे वादी द्वारा [illegible] अनुतोष नही चाहा गयझं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:25:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में उभयपक्ष को सुनते हुए इस न्यायालय द्वारा दिनांक 31.03.2022 को वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम टूंगच पटवार हल्का टूंगच तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1143 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 1144 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 1747/1142 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.23 है0 भूमि में वादी का 1/2 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

उक्त प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 16.05.2022 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और उभयपक्ष अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम टुंगच तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 222 में प्रस्तावित आराजी संख्या 1143/2 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 1747/1142 रकबा 0.05 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.11 है0 भूमि बलदेव पिता घासीराम जाट सा0 मियासनी तहसील व जिला जोधपुर खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1143/1 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 1144 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.12 है0 भूमि लक्ष्मणसिंह पिता चमनसिंह 1/2, सम्पतकंवर पिता चमनसिंह राजपूत सा.देह खातेदार के नाम रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

19/05/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:25:23 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–84 / 2021 (2021 / 374) वादपत्र

अनवान

1. बलदेव पुत्र घासीराम जाट निवासी मियासनी, तहसील व जिला जोधपुर राजस्थान

वादी

बनाम

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र चमनसिंह राजपूत निवासी टूंगच, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सम्पतकंवर पुत्री चमनसिंह राजपूत निवासी टूंगच, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम टुंगच तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 222 में प्रस्तावित आराजी संख्या 1143 / 2 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 1747 / 1142 रकबा 0.05 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.11 है0 भूमि बलदेव पिता घासीराम जाट सा0 मियासनी तहसील व जिला जोधपुर खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1143 / 1 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 1144 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.12 है0 भूमि लक्ष्मणसिंह पिता चमनसिंह 1/2, सम्पतकंवर पिता चमनसिंह राजपूत सा.देह खातेदार के नाम रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 19.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

19/05/2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:25:23 IST
Reason: SelfAttested